अध्याय - 1

वर्ष 2013-14 एक नजर में

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 कोयला मंत्रालय श्री प्रकाश जायसवाल, कोयला मंत्री और श्री प्रतिक प्रकाशबापू पाटील, कोयला राज्य मंत्री के पास था।

1.1.2 कोयला मंत्रालय कोयला तथा लिग्नाइट के भंडारों के अन्वेषण और विकास के संबंध में नीतियों का निर्धारण करने एवं उच्च मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृत करने और सभी सम्बद्ध मामलों का निर्णय करने के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी है। इन महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन सार्वजनिक क्षेत्र के इसके उपक्रमों अर्थात कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एलएलसी) लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल), जो आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है तथा जिसमें इक्विटी पूंजी का अनुपात 51:49 है, के माध्यम से किया जाता है।

1.1.3 भारत में कोयला भंडार

भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार भारत में 1200 मीटर की गहराई तक कोयले का भंडार 301.56 बिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। कोयला भंडार मुख्यतः झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित हैं।

1.1.4 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार देश में लिग्नाइट भंडारों का अनुमान लगभग 43.22 बिलियन टन लगाया गया है। लिग्नाइट भंडारों का प्रमुख निक्षेप तमिलनाडु राज्य में हैं। अन्य राज्य जहां लिग्नाइट के भंडार स्थित हैं, वे राजस्थान, गुजरात, केरल, जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र पुडूचेरी हैं।

1.2. कोयला उत्पादन

2013–14 के दौरान भारत में कोयले का उत्पादन 2012 –13 के 556.41 मि.टन (एमटी) की तुलना में 565.64 मि.टन (अनंतिम) हुआ है, जो 1.7% की वृद्धि को दर्शाता है। सीआईएल, एससीसीएल तथा अन्यों से कोयला उत्पादन के कंपनी–वार ब्यौरें निम्नवत हैं:

(मि.ट. में)

2013 – 14 का कोयला उत्पादन						
कंपनी	2012–13 वास्तविक	वास्तविक जन.से मार्च, 2013	2013–14 लक्ष्य	2013–14 वास्तविक	उपलब्धि – (%)	वृद्धि (%)
सीआईएल	452-21	143-29	482-00	462-53	95-96	2-3
एससीसीएल	53-19	16-01	54-30	50-47	92-95	- 5-1
केप्टिव	34-23	13-93	50-00	38-88	77-76	13-6
अन्य'	16-78		18-25	13-76	75-40	- 18-0
कुल	**556-41**	**173-23**	**604-55**	**565-64**	**93-56**	**1-7**

* **टिप्पणी:** वार्षिक रिपोर्ट में 1 जनवरी से अगले वर्ष के 31 मार्च तक विभाग के क्रियाकलापों के बारे में सूचना दी गई है जिसमें लेखानुदान पारित किया जाता है।

1.3 कोयले का प्रेषण

जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 की अवधि के दौरान सीआईएल से कोयले का प्रेषण पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 587.50 मि.टन की तुलना में 600.97 मि.टन (अनंतिम) था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.3% की वृद्धि को दर्शाता है।

कंपनी–वार कच्चे कोयले का प्रेषण **(मि.ट. में)**

कंपनी	जनवरी, 2013 – मार्च, 2014			जनवरी, 2012 – मार्च, 2013	% वृद्धि
	लक्ष्य	वास्तविक	% उपलब्धि	वास्तविक	
सीआईएल	621.10	600.97	97	587.50	2.3
एससीसीएल	64.72	66.48	102.7	70.14	(-)5.2

क्षेत्रवार कच्चे कोयले का प्रेषण (अनंतिम) – सीआईएल **(मि.ट. में)**

क्षेत्र	जनवरी, 2013 – मार्च, 2014	जनवरी, 2012 – मार्च, 2013***	जनवरी, 2012 – मार्च, 2013 में की तुलना में जनवरी, 2013 – मार्च, 2014 की % वृद्धि
ईस्पात*	9.80	11.30	-13.3
विद्युत (उपयोगिता)**	451.86	435.28	3.8
विद्युत ञकेप्टिव)	38.20	41.74	-8.5
सीमेंट	6.84	7.86	-13.0
उर्वरक	2.85	3.24	-12.1
अन्य	91.42	88.09	3.8
सीआईएल#	600.97	587.50	2.3

* वाशरियों को कोकिंग कोयला आपूर्ति, प्रत्यक्ष फीड, इस्पात संयंत्रों, कोक ओवन, निजी कोकरीज को मिश्रण योग्य सीधी आपूर्ति तथा कोकरीज को एन एल डब्ल्यू कोयला शामिल है।

** परिष्करण के लिए वाशरी तथा बीना डिशालिंग संयंत्रों को नान–कोकिंग कोयले की आपूर्ति शामिल है।

\# कोलियरी खपत को छोड़कर

क्षेत्र–वार प्रेषण – एससीसीएल **(मि.ट. में)**

क्षेत्र	जनवरी, 2013 – मार्च, 2014	जनवरी, 2012 – मार्च, 2013	% वृद्धि
विद्युत (उपयोगिता एवं सीपीपी)	48.19	53.33	(-) 9.6
ईस्पात (स्पांज ऑयरन)	0.50	0.87	(-) 42.5
सीमेंट	6.47	6.85	(-) 5.5
उर्वरक	-	-	-
अन्य	7.54	7.56	0.03
कुल	**62.70**	**68.61**	**(-) 8.6**

कोयले की आपूर्ति : 2012–13 के दौरान कच्चे कोयले की वास्तविक आपूर्ति/उठान, आपूर्ति योजना 2013–14 और 2013–14 के दौरान मार्च, 2014 तक वास्तविक कोयला आपूर्ति नीचे दी गई है:–

(मि.ट. में)

स्रोत	2011–12 वास्तविक	2012–13 (ब.अ.)	2012–13 वास्तविक	2012–13 4 तिमाही (ब.अ.)	2012–13 4 तिमाही (वास्तविक)	2013–14 (ब.अ.)	2013–14 वास्तविक
सीआईएल	433.08	470.00	465.18	129.72	129.95	492.00	471.50

वर्ष 201314 (जनवरी, 2013–मार्च, 2014) में एससीसीएल ने 67.05 मि.ट. के लक्ष्य की तुलना में 62.70 मि.ट. की आपूर्ति की। एससीसीएल ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 68.61 मि.ट. आपूर्ति की थी।

1.4 लिग्नाइट उत्पादन

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एनएलसी) तापीय विद्युत स्टेशनों से सम्बद्ध ओपनकास्ट लिग्नाइट खानों वाली एक एकीकृत खनन तथा विद्युत कंपनी है। 2013–14 के दौरान नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने 25.20 मि.टन लिग्नाइट उत्पादन तथा 18929 मि. यूनिट विद्युत उत्पादन की तुलना में 26.61 मि.ट. तथा 19988.72 मि. यूनिट के लक्ष्य को प्राप्त किया। ब्यौरे नीचे दिए गए है:–

एनएलसी द्वारा लिग्नाइट तथा विद्युत उत्पादन						
मद	2012–13 वास्तविक	वास्तविक जन.–मार्च, 2013	2013–14 लक्ष्य	2013–14 वास्तविक	उपलब्धि:	वृद्धि %
लिग्नाइट मि.टन	26-22	7-71	25-20	26-61	105-6	1-5
विद्युत उत्पादन (मि.यूयूनिट)	19902-34	5577-88	18929	19967-72	105-6	0-3

1.5 कोयला ब्लॉकों का आवंटन

1993 से 2011 की अवधि के दौरान कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पात्र सार्वजनिक तथा निजी कंपनियों को 50 बिलियन टन के भू–गर्भीय भण्डार वाले 218 कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया है। शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली/यूएमपीपी पर आवंटित सरकारी/निजी एवं विद्युत परियोजनाओं को आवंटित कोयला ब्लॉकों की क्षेत्रवार संख्या नीचे दी गई है :–

क्र. सं.	क्षेत्र	सरकारी कंपनियों को ब्लॉकों की संख्या	निजी कंपनियों को ब्लॉकों की संख्या	यू.एम.पी.पी./शुल्क आधारित बोली ब्लॉकों की संख्या	कुल ब्लॉक
1.	विद्युत	55	28	12	**95**
2.	वाणिज्यिक खनन	41*	-	-	**41**
3.	लौह एवं इस्पात	4	65	-	**69**
4.	सीमेंट	-	8	-	**8**
5.	लघु एवं अलग–अलग	-	3	-	**3**
6.	सीआईएल	-	2	-	**2**
	कुल	**100**	**106**	**12**	**218**

* विजय सेन्ट्रल कोयला ब्लॉक लीडर के रूंप में कोल इंडिया लि. को और एसोसिएट के रूंप में एसकेएस इस्पात एवं पावर लि. को आवंटित। अतः सरकारी श्रेणी में लिया गया।

आबंटित 218 कोयला ब्लॉकों में से आज की स्थिति के अनुसार 80 कोयला ब्लॉकों का आबंटन रद्द किया गया (तत्कालीन समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर 18 कोयला ब्लॉकों का आबंटन रद्द किया गया तथा अन्तर मंत्रालयी समूह की सिफारिशों के आधार पर अब 62 कोयला ब्लॉकों का आबंटन रद्द किया गया) इस प्रकार विशुद्ध आबंटित कोयला ब्लॉक 138 हैं जिनका भू–वैज्ञानिक भंडार लगभग 30.77 बि. टन है।

वर्ष 2010 में खान तथा खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 के संशोधन के साथ ही सरकारी कंपनी तथा टेरिफ के लिए प्रतिस्पर्द्धी बोली के आधार पर किसी कंपनी को अवार्ड की गई विद्युत परियोजना (यूएमपीपी सहित) के आबंटन के अपवाद के साथ कोयला खान नियामवली, 2012 की प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा नीलामी के अनुसार केवल प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से अब कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया जा सकता है।

1.6 कोयला और लिग्नाइट परियोजनाएं

मार्च, 2014 तक वर्ष 2012–13 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं :–

i) **सीआईएलः** सीआईएल केन्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक महारत्न उप"म (सीपीएसयू) है। अप्रैलदिसम्बर, 2013 की अवधि के दौरान, सीआईएल ने एसईसीएल की दो ओपनकास्ट परियोजनाओं अर्थात 610.63 करोड़ रूं. के पूंजी निवेश के साथ 6.00 मि.टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता की छल ओसी तथा 7612.33 करोड़ रूं. के पूंजी निवेश के साथ 15 से 50 मि.टन प्रति वर्ष की कुसमुंडा विस्तार परियोजना को अनुमोदित किया।

ii) **एनएलसीः** एक नवरत्न कंपनी के रूंप में एनएलसी को अपने कामकाज में वित्तीय शक्तियों तथा अधिक स्वायत्ता प्रत्यायोजित की गई है। तदनुसार

एनएलसी बोर्ड को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार नए परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित करने का अधिकार प्राप्त है। वर्ष 2013 – 14 के दौरान (1) 51 मेगावाट की पन विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए कार्य आदेश जारी किया गया था (2) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के निदेशक मंडल द्वारा खान – I तथा खान – I, की पुनर्संरचना के परियोजना प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

(iii) **एससीसीएलः** जनवरी, 2013 से मार्च, 2014 की अवधि के दौरान भारत सरकार ने एससीसीएल की किसी परियोजना को स्वीकृत नहीं किया।

1.7 प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कोयला ब्लॉकों का आबंटन

(क) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 को कैप्टिव उपयोग के लिए कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रणाली लागू करने के लिए 9 सितम्बर, 2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित किया गया है जिसमें नीलामी के माध्यम से कोयला और लिग्नाइटधारी क्षेत्र के संबंध में सर्वेक्षण अनुमति, पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा ऐसी शर्तों, जिन्हें निर्धारित किया जाए, पर देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, यह निम्नलिखित मामलें में लागू नहीं होगा –

- जहां इस प्रकार के क्षेत्र का खनन अथवा इस प्रकार के अन्य विशिष्ट अन्त्य प्रयोग के लिए सरकारी कंपनी अथवा निगम को आवंटन करने पर विचार किया जाता हो ;
- जहां इस प्रकार के क्षेत्र का किसी कंपनी अथवा निगम जिसे शुल्क (अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं) के लिए प्रतिस्पर्द्धी बोलियों के आधार पर किसी विद्युत परियोजना को दिया गया है, को आवंटन करने पर विचार किया जाता हो।

कोयला खानों की प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी नियमावली 2012 को 2 फरवरी, 2012 को अधिसूचित कर दिया गया है। इसके अलावा, उक्त संशोधन अधिनियम, 2010 के प्रारंभ की अधिसूचना को भी खान मंत्रालय द्वारा 13 फरवरी, 2012 को अधिसूचित किया गया है।

सरकारी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों के आबंटन के बारे में सरकार ने 27 दिसम्बर, 2012 को नीलामी द्वारा कोयला खान (संशोधन) नियमावली, 2012 की प्रतिस्पर्धी बोली को भी अधिसूचित किया है। इसमें पूर्व निर्धारित मानदण्डों के आधार पर आबंटन के लिए तथा कोयले के उपयोग के लिए सरकारी कंपनी के चयन के लिए विस्तृत शर्तें दी गई हैं।

i) नियम – 3 में प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से कोयलाधारी क्षेत्र के आबंटन के लिए क्रियाविधि की व्यवस्था है।

ii) नियम – 4 में सरकारी कंपनियों अथवा निगम को कोयलाधारी क्षेत्र के आबंटन के लिए क्रियाविधि की व्यवस्था है।

iii) नियम – 5 में राज्य सरकार की कंपनी/निगमों से सर्वेक्षण अनुमति, पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ टेरिफ हेतु

प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर अवार्ड की गई विद्युत परियोजना वाली कंपनी अथवा निगम को कोयलाधारी क्षेत्र के आबंटन के लिए क्रियाविधि की व्यवस्था है।

इसके अलावा, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धार 11–ए की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने दिनांक 20.02.2014 के उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अन्त्य उपयोगों के रूंप में सीमेंट के उत्पादन, कोयला गैसीकरण (भूमिगत तथा सतही) और कोयला द्रव्यीकरण के माध्यम से प्राप्त सीने – गैस का उल्लेख करते हुए अधिसूचित किया है।

(ख) आवश्यक व्यावसायिक इनपुटों को प्राप्त करने के बाद बोली दस्तावेजों/करार आदि को तैयार करने के लिए सिफारिश करने और सीएमपीडीआईएल को सलाह देने के लिए एक अन्तर– मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था। तदनुसार कोयला मंत्रालय ने न्यूनतम मूल्य/आरक्षित मूल्य निर्धारित करने, सफल बोलीदाताओं के साथ संपन्न किए जाने वाले निविदा दस्तावेज और करार का आदर्श प्रारूंप तैयार करने के लिए तौर–तरीकों का सुझाव देने हेतु सीएमपीडीआई के माध्यम से मैसर्स क्रिसिल इनफ्रास्ट्रकचर एडवाइजरी को रखा था। मैसर्स क्रिसिल द्वारा तैयार रिपोर्ट पर अन्तर – मंत्रालयी समिति के साथ–साथ विद्युत मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि सहित विभिन्न स्टेकधारियों के साथ परामर्श के बाद विस्तृत विचार–विमर्श तथा बातचीत के पश्चात सरकार ने कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए न्यूनतम मूल्य/आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए बोली के तौर – तरीकों, चयन मानदण्डों को अनुमोदित किया जैसा कि नीचे दिया गया है:

अपनायी जाने वाली बोली के तौर तरीके:

i) **उत्पादन से सम्बद्ध भुगतान** : इस पद्धति के अधीन उत्पादन से सम्बद्व गुणों के आधार पर बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। वह बोलीदाता जो उच्चतम गुण का उल्लेख करता है, अधिमानी बोलीदाता हो जाएगा। इस मामले में न्यूनतम कीमत एक न्यूनतम गुण होगा, जो बोली से पहले सेट होती है और बोलीदाता को न्यूनतम गुणों से अधिक गुणों का उल्लेख करना अपेक्षित होता है। इसी प्रकार का नीलामी का तौर – तरीका अन्वेषित के साथ – साथ क्षेत्रीय रूंप से अन्वेषित उन्नत ब्लॉकों के लिए लागू होगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक बेसिक अपफ्रंट भुगतान निर्धारित किया जाएगा जिसमें विजेता बोलीदाता की ब्लॉक के विकास के लिए शुरूं से ही कुछ न्यूनतम वचनबद्वता है। यह राशि कोयला ब्लॉक की तात्विक मूल्य के 10: रखी जाएगी।

ii) **अपनाए जाने वाले चयन मानदण्ड** : अन्वेषित तथा क्षेत्रीय रूंप से अन्वेषित ब्लॉकों दोनों की नीलामी के लिए रूंपए /टन बोली (भारित कीमत सूचकांक) से सम्बद्ध वार्षिक बढ़ोतरी का मानदण्ड होगा (जिसमें डाटा सीएमपीडीआईएल द्वारा उन्नत किया गया है)।

न्यूनतम/आरक्षित मूल्य के निर्धारण के तौर – तरीके:

न्यूनतम मूल्य निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाएगा –

क) डिस्काउन्टिड कैश फ्लो (डीसीएफ) प्रस्ताव के आधार पर उसकी निवल वर्तमान कीमत (एनपीवी) की परिगणना करके पहले ब्लॉक की तात्विक कीमत प्राप्त की जाती है। उसके बाद तदनुसार एनपीवी कम करने के लिए किसी छूट को कारक किया जाना है (जैसा कि सरकार द्वारा नियत किया गया है)। अन्तिम एनपीवी (छूट के बाद तथा बोलीदाता से प्राप्त बेसिक अपफ्रंट अदायगी को घटाने के बाद) रूंपए/टन को समान करने के लिए वार्षिक रूंप से प्रस्तावित किया जाता है।

ख) जहां तक सरकारी कंपनियों को ब्लॉकों के आबंटन के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित करने का संबंध है, कोयला ब्लॉक आबंटी द्वारा एक बार विस्तृत अन्वेषण करने के बाद डीसीएफ मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके रूंपए/टन में आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। सरकार द्वारा खनन योजना अनुमोदित करने पर न्यूनतम रूंपए/टन गुण का अनुमान लगाने के लिए उपर्युक्त बताए गए तरीकों के अनुसार आरक्षित मूल्य/टन गुण का निर्धारण किया जा सकता है।

ग) टेरिफ बोली के आधार पर चयन की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं के लिए आबंटित किए जाने वाले कोयला ब्लॉकों के लिए आरक्षित कीमत निर्धारित करने के लिए सीएमपीडी आईएल द्वारा किए गए विस्तृत अन्वेषण अथवा उन्नत किए गए ब्लॉक डाटा के बाद प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले आरक्षित मूल्य (रूंपए/टन) का निर्धारण किया जा सकता है। डीसीएफ मूल्यांकन तौर – तरीकों का उपयोग करके तथा किसी छूट, जिसे भारत सरकार निर्धारित करे, के कारण आरक्षित मूल्य के गुणों का निर्धारण किया जा सकता है। ऐसे मामलों में आरक्षित मूल्य तय तात्विक मूल्य की 10% की सीमा तक होना चाहिए ताकि विद्युत उत्पादन की लागतों को कम करना सुनिश्चित किया जा सके।

1.8 कोयला क्षेत्र के लिए नियामक

13.12.2013 को लोकसभा में कोयला विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2013 पेश किया गया था। चूंकि लोकसभा में लम्बित उक्त विधेयक 18 मई, 2014 को 15वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही समाप्त हो गई है, अतः यह प्रस्ताव को पुनः पेश करने हेतु विचाराधीन है।

1.9 कोयला खानों में सुरक्षा से सम्बद्ध स्थायी समिति

कोयला मंत्रालय के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में कोयला खानों में सुरक्षा से सम्बद्ध एक स्थायी समिति मंत्रालय में कार्यरत है जिसमें श्रम तथा रोजगार मंत्रालय (एमओएल एंड ई) के प्रतिनिधि, खान सुरक्षा महानिदेशक

(डीजीएमएस), धनबाद, अध्यक्ष, सीआईएल और सीआईएल की सहायक कंपनियों के सीएमडी, एससीसीएल, एनएलसी, इस्को, डीवीसी, राज्यों की सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों, निजी क्षेत्र की कोयला कंपनियों एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेता इस समिति के सदस्य हैं। जोकि कोयला खानों के लिए भारत में शीर्ष स्तर की राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सुरक्षा निगरानी समिति है। यह समिति कोयला खानों में सुरक्षा के सभी पहलुओं की गहन–जांच करती है और आगे सुधार करने के लिए सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेती है। यह भारत में कोयला खानों के लिए राष्ट्रीय स्तर की सबसे उच्च त्रिपक्षीय सुरक्षा मानीटरिंग समिति है। इस समिति की बैठकें समय–समय पर होती हैं और अब तक इस समिति की 38 बैठकें हो चुकी हैं।

कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी स्थायी समिति की 38वीं बैठक 28.01.2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस समिति ने पूर्व की बैठकों की सिफारिशें पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा की तथा कोयला खानों में सुरक्षा मानदंड और व्यवासिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए विभिन्न सुरक्षा से संबद्ध मुद्दों तथा दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए की गई कार्रवाई योजना पर चर्चा की।

प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं:

1. स्थायी समिति ने सिफारिश की कि विस्फोटक मैगजीनों के सुरक्षा कवरेज को और अधिक सुदृढ़ किया जाए।
2. स्थायी समिति ने सिफारिश की कि सभी कोयला उत्पादक कंपनियों में ठेके के कामगारों के लिए व्यवासिक स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना में सुधार के लिए समुचित कदम उठाए जाएं।
3. स्थायी समिति ने सिफारिश की कि सभी आवश्यक कदम कोयला कंपनियों द्वारा समुचित सुरक्षा पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए सांविधिक जनशक्ति में कमी को पूरा करने के लिए उठाएं जाएं।
4. स्थायी समिति ने सिफारिश की कि सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में स्थापित सतह नियंत्रण प्रकोष्ठों को और अधिक मजबूत बनाया जाना है।
5. स्थायी समिति ने सिफारिश की कि सुरक्षा संबंधी व्यय की मानीटरिंग नियमित रूप से आबंटित निधियों के वेहतर उपयोग के लिए प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं।
6. स्थायी समिति ने सिफारिश की कि स्थायी समिति में सभी कैप्टिव कोयला खान कंपनियों के आमंत्रण से संबंधित मुद्दे का परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है।

1.10 खान बंद करने के लिए दिशानिर्देश

खनित क्षेत्रों का यथासंभव प्राथमिक स्तर तक पुनरूद्धार करने के उद्देश्य से, खान बंद करने की योजना तैयार करने को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए कोयला मंत्रालय ने कोयला खान स्वामियों द्वारा अपनाए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे कोयला खनन से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान निकालने में मदद मिलेगी।

1.11 निष्पादन मूल्यांकन और मानीटरिंग प्रणाली (पीईएमएस)

निष्पादन की मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु योजना मंत्रिमण्डल सचिवालय के तत्वावधान में कोयला मंत्रालय में 2009–10 में शुरूं की गई थी। वर्ष 2013–14 के दौरान मंत्रालय के निष्पादन का मूल्यांकन परिणाम ढांचा संबंधी दस्तावेज (आरएफडी) 201213 के आधार पर 2012–12 के लिए किया गया था। 2013–14 के लिए कोयला मंत्रालय का परिणाम ढांचा दस्तावेज, विनियमित विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की समुचित आपूर्ति, कैप्टिव कोयला ब्लॉकों से विकास और उत्पादन, संसाधनों के अन्वेषण पर बल, कोयला धुलाई क्षमताओं में वृद्धि, खानों में सुरक्षा संबंधी स्थितियों में सुधार, कोलफील्ड क्षेत्रों में रेल और सड़क अवसंरचना का विकास और अन्य नीतिगत मुद्दों को सुनिश्चित करने के लिए सीआईएल द्वारा कोयला उत्पादन और कोयला उठान, एनएलसी द्वारा लिग्नाइट उत्पादन और विद्युत उत्पादन के लिए वार्षिक कार्य योजना की प्राप्ति के मुख्य उद्देश्य के साथ मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्रस्तुत किया गया था।

1.12 परामर्शदात्री समिति

कोयला मंत्री की अध्यक्षता में 2008–09 में कोयला मंत्रालय के लिए परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया जिसमें लोक सभा के 23 और राज्य सभा के 6 सदस्य थे। इस अवधि के दौरान समिति की 3 बैठकें कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वासन नीति, कोयला क्षेत्र में पर्यावरणीय एवं वानिकी स्वीकृति तथा कोयला उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए की गई।

1.13 केन्द्रीय समन्वय समिति (सीसीसी)

नीति स्तर पर प्रभावी समन्वय प्राप्त करने की दृष्टि से 'केन्द्रीय समन्वय समिति' 29.10.2013 को गठित की गई थी। समिति के अध्यक्ष सचिव (कोयला) हैं और कोयला उत्पादक राज्यों के प्रधान सचिव, विभिन्न मंत्रालयों तथा सीआईआई, एफआईसीसीआई और एफआईएमआई जैसे औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि और कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य हैं। केन्द्रीय समन्वय समिति की प्रथम बैठक 07 जनवरी, 2014 को हुई थी। कोयला अन्वेषण, कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द करना, केप्टिव कोयला ब्लॉकों का कार्यान्वयन और निकासी की समस्या सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी।